



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29022024-252479
CG-DL-E-29022024-252479

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 899]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 29, 2024/फाल्गुन 10, 1945

No. 899]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 29, 2024/PHALGUNA 10, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2024

का.आ. 944(अ).—प्रबंधन प्राधिकरण, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 50 के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की अनुसूची 4 में सूचीबद्ध प्रजातियों के नमूनों के संबंध में, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के अधिकारी, जो हेड कांस्टेबल की पंक्ति से नीचे का न हो, को उक्त अधिनियम की धारा 50 के अधीन शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत करता है।

[फा. सं. डब्ल्यू एल-1/3/2023-डब्ल्यू एल]

डॉ. सत्य प्रकाश यादव, अपर वन महानिदेशक

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2024

S.O. 944(E).—In pursuance of section 50 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Management Authority, hereby authorises the Officers of the Wild Life Crime Control Bureau, not below the rank of Head Constable in relation to the specimens of species listed in Schedule IV to the said Act, to exercise the powers and perform the functions under section 50 of the said Act.

[F. No. WL-1/3/2023-WL]

Dr. SATYA PRAKASH YADAV, Addl. Director General of Forests

1385 GI/2024